

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/31825/19 दिनांक 25.07.19 के आदेश में उनके नाम के सम्मुख निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदस्थापन	संशोधन जो किया जाना है
1	रश्मि माथुर व्या0 इतिहास	लुणियावास-जयपुर	कॉलम संख्या 04 में कृषि विज्ञान के स्थान पर व्याख्याता कृषि विज्ञान पढ़ा जावे।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 13.8.19

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/31825/19

प्रतिलिपि:-निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
- 4 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/कार्मिक
- 5 रक्षित/निजी कार्मिक

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0	नाम कार्मिक व पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।
01	02	03	04
01	गोपाल सिंह आसोलिया, व्य0 वाणिज्य,सुवेरी खेरवाड़ा-उदयपुर	माह जनवरी 2019 से जून 2019 तक (छः माह)	सुवेरी खेरवाड़ा-उदयपुर से व्य0 वाणिज्य के रिक्त पद के विरुद्ध

प्रधानाचार्य राउमावि बम्बोरा ने पत्र क्रमांक राउमावि/बम्बोरा/उदयपुर/624/2019 दिनांक 10.07.19 के द्वारा गोपाल सिंह आसोलिया को लिखे गये पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित कर वेतन भुगतान हेतु प्रतिनियुक्ति आदेश,कार्यमुक्ति आदेश, उपस्थिति प्रमाण पत्र,आयकर कटौती विवरण,अचल संपत्ति विवरण संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, अतः कार्मिक का वेतन आहरण करने से पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी उक्त दस्तावेजों को आवश्यक रूप से प्राप्त करें। उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।




संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 13.8.19

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/31825/19
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय।
3. सम्बन्धित शाला/संस्था/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर